न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 23/2021

श्री नवाब अली राठौड एडवोकेट राज. उच्च न्यायालय, जयपुर चेम्बर नं. 133 ई ब्लाक हाई कोर्ट बिल्डिंग जयपुर राज.

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह वगैरह

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 24–8–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 18–5–2021 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही गई थी किन्तु चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक से सम्बन्धित नहीं होने से उनके द्वारा पत्र क्रमांक 401 दिनांक 25–5–2021 से प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने वांछित सूचना देने हेतु पत्र क्रमांक 2698–99 दिनांक 2–6–2021 से उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को अन्तरित किया गया। अपीलान्ट द्वारा निम्न सूचना चाही गई थी :–

1– कस्बा– टाडारायसिंह टोंक के खसरा नं. 4469 किस्म गे.मु.पाल खसरा नं. 4432 किस्म चरागाह कि भूमि पर न्यू मन्दिर निर्माण करवाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों कि प्रतिलिपि।

2– उपरोक्त भूमि पर बन रहे मन्दिर का निर्माण वैध है या अवैध/ अगर अवैध है तो सरकार द्वारा नाजायज निर्माण कार्य को हटाने कि कार्यवाही कि गई है उस कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली कि प्रतिलिपि।

3– न्यू मन्दिर निर्माण करवाने के सम्बंध में रा[illegible]कार के दिशा–निर्देशों कि प्रतिलिपि।

4– दिनांक 10.03.2021 के समाचार–पत्र [illegible], टोंक में प्रकाशित "श्याम मन्दिर निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन में उभ[illegible] टोडा" के सम्बन्ध में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested

सरकार द्वारा जारी न्यू मन्दिर निर्माण कि स्वीकृति से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली कि प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई एंव दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पत्र क्रमांकः/21/ 233 दिनांक 19–7–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना इस कार्यालय के पत्रांक 184/रीडर/2021 दिनांक 18.6.2021 द्वारा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है, जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested